पावर के बराबर होता है, इसलिये सम्भवतया 835.4 लाख काम करने वाले गोपशु (पशुधन संगणना 1977) देश की पशु-शक्ति की जरुरत पूरी कर सकेंगे।

गोपशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य विधान मण्डलों के पास है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर व नगर हवली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में गायों और उनके बछड़-बछड़ियों का वध करने पर रोक या प्रतिबन्ध लगाने के कानून हैं। जो गोपशु प्रजनन या काम के लिये ठीक हों, उनका वध करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

Allotment of Flats in Vasant Kunj by DDA

1635. SHRI MUKHTIAR SfNGH MALIK : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority propose to allot flats constructed in Vasant Kunj, Block «C New Delhi.

(b) if not the reasons therefor; and

(c) by when flats in 'C Block in Vasant Kunj are proposed to be allotted ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The flats are expected to be completed during January to March, '88 and will be allotted thereafter.

बरौनी उर्वरक कारखाने में नियुक्तियों में बरती गइ अनियमितताएं

1636. **श्री कैलास पति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक संयंत्र में तृतीय तथा पांचवीं श्रेणी में 173 व्यक्तियों और विश्लेषकों के 6 पदों की नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में बेगुसराय के मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने 5 अप्रैल, 1986 और 26 मई, 1986 को निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) दो उम्मीदवारों, ने, जिन्हें हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एचएफसी) के बरौनी एकक में मजदूर के पद के लिए नहीं चुना गया था, मुन्सिफ न्यायाधीश बेगुसराय के न्यायालय में स्थगन आदेश के लिए याचिका दायर की है। प्रार्थना को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

बरौनी एकक में विश्लेषक के पद के लिए न चुने गये उम्मीदवारों में से एक ने विभिन्न आधारों पर विश्लेषकों के चयन को चुनौती दी है। न्यायालय ने एचएफसी को विश्लेषक का एक पद खाली रखने के लिए निर्देश दिये हैं ताकि जब और जैसे मुद्दई मुकदमें में सफल हो तो उसे वह पद उपलब्ध किया जा सके, एचएफसी ने जिला न्यायाधीश बेगुसराय के न्यायालय में अपील की है।

बरौनी ऊर्वरक संयंत्र से यूरिया का गायब हो जाना

1637. **श्री कैलास पति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1986 के आर्यवर्त्त तथा प्रदीप और 25 जून, 1986 के "आज" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्च, 1985 से अगले सात माह की अवधि के दौरान बरौनी उर्वरक संयंत्र से 7,000 मीटरी टन यूरिया गायब हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) दि० 5 जुलाई, 1986 के "आर्यवर्त्त" में प्रकाशित समाचार का ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है तथापि, उच्चाधिकार समिति (हिन्दुस्तान, फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० द्वारा नियुक्त) की रिपोर्ट के अनुसार 1-4-85 से 31-12-85 की अवधि के दौरान 2232 मी० टन यूरिया कम था। यह उत्पादन का 1.42 प्रतिशत बनता है जो डस्टहैंडलिंग, संयंत्र खराबियों और माप/तौल उपकरणों की ग्राह्यता के कारण होने वाली हानि का निर्धारित 1.5 प्रतिशत के अनुमय मानक से कम है।

Water connection in Tughlakabad

1638. SHRI CHIMANBHAI MEHTA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what steps are being taken by Government to provide water connections in the houses in Tughlakabad Extension which is an authorised colony and by when these are likely to be provided ; and

(b) what steps are being taken by Government to lay the sewerage line in the colony?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) The DDA has already laid water distribution lines upto the extent of 90% in the regularised portion of this colony and water connection in the houses are likely to be given by the month of December 1986 subject to payment of development charges by the residents.

(b) The work of laying sewer lines in the colony has also been taken up and is likely to be completed in another three months.

Requirement of Single Super Phosphate in Bihar

1639. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what is the annual requirement of single super phosphate (SSP) in the country and Bihar in particular;

(b) the steps Government are taking to meet the shortage, if any ; and

(c) the number of licences issued for production of SSP in Bihar during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No seprate requirement of Single Super Phosphate is worked out as such. However, the gross requirement of P205 which is the nutrient in single super phosphate also, is assessed both for the country and each State separately. For the country the requirement of P205 for 1985-86 s 24.41 lakh tonnes and for Bihar 1.15 lakh tonnes. Over 84 % of P205 requirement is met through high analysis phosphate carriers such as Diammonium Phosphate and NPK complexes in the country, the balance being met through SSP and rock phosphate.

(b) The shortfall of P205 in the country is met through imorts.

(c) During the last three years (83-84 to 85-86), one letter of intent has been issued in September, 1984 for setting up a standard size single super phosphate (SSP) unit *i.e.* for the manufacture of 66,000 tonnes per annum of single super phosphate in Purnia district of Bihar. The letter of intent has been issued to M/s. Himalaya Phosphate Ltd. and is valid upto 30th September, 1986 In addition, the proposal of M/s Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. (PPCL) for setting up of